

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05102021-230155
SG-DL-E-05102021-230155असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 194
No. 283]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943	[N. C. T. D. No. 194

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

फा.सं.1(61)/स्था0/योजना/2014/भर्ती नियम/चालक/8804-8810.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 2 अगस्त, 1994 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिए की गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को “योजना विभाग स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड” भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
 शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	03*(2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप 'ग' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, 19900-63200/-रुपये पे बैंड - 1 (5200 - 20200/-रुपये + ग्रेड पे 1900/- रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष * (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 40 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :—(आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी न कि (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिले तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप राज्यों के लिये निर्णायक तिथि उनके लिये निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार होगी)। * यदि सीधी भर्ती 'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— (i) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी; (ii) मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी मोटी खराबी को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय : होम गार्ड/सिविल स्वयं सेवक (वालंटियर) के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

		नोट-1: अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। नोट-2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होना हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	: जिस कार्यालय में रिक्तियां हैं उसमें हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंसधारी वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1, 18000-56900/-रुपये पे बैंड -1 (5200 - 20200/- रुपये जमा ग्रेड पे 1800/- रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में) नियमित समूह "ग" कर्मचारियों में से पदोन्नति बशर्ते कि परिवहन विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/मोटर वाहन संस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	: वर्ग "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) — अध्यक्ष (ii) विभागाध्यक्ष (योजना) —सदस्य (iii) उप सचिव (सेवाएं) —सदस्य (iv) राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप सचिव के रैंक का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित अधिकारी — सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

के. आर. छिब्रर, उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालयाध्यक्ष

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2021

F.No.1(61)/Estt./Plg./2014/8804-8810.— In exercise of the powers conferred by provision to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R. 840, dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification dated 2nd August, 1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **"Staff Car Driver, Ordinary Grade"** in the Planning Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (i) These rules may be called Planning Department Staff Car Driver, Ordinary Grade Recruitment Rules, 2020.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of Posts, classification and level in the Pay Matrix.** —The number of posts, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.** —No person, -
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** —Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-Selection	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver, (Ordinary Grade)	03*(2020) *Subject to variation department on workload	Group 'C' Non Gazetted, Non Ministerial	Level-2 in Pay matix, Rs.19900-63200/- PB-1 (Rs.5200-20200 plus GP Rs. 1900 in pre revised scale)	Non Selection	18-25 years* (Relaxable for government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh UT, Lahual & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). *If Direct recruitment is to be made by 'direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for Motor Cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle) (iii) Experience of driving a Motor Car for at least 3 years and (iv) Pass in 10th Standard. Desirable:- 03 Years Service as Home Guard/Civil Volunteers. Note 1: The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	Two years for Direct recruits	By Promotion failing which by Direct recruitment.

In case of recruitment/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from amongst the regular Group 'C' Employees in the level-1 in Pay Matrix Rs.18000-56900/-PB-1 (Rs. 5200-20200/- plus GP Rs. 1800/- in pre-revised scale) having driving license of Light Motor	Group-'C' DPC (for Considering promotion); (i) Principal Secretary/Secretary (Labour) - Chairperson (ii) Head of Department, Planning -Member	Not Applicable

Vehicle in the office in which the vacancy arises subject to passing a skill test conducted by Transport Department, GNCTD/Motor Vehicle Institute, GNCTD.	(iii) Deputy Secretary Services -Member (iv) An Officer belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe Community not below the rank of Deputy Secretary in the Government of National Capital Territory of Delhi. -Member	
--	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

K.R. CHHIBBER, Dy. Director (Admn)/H.O.O

अधिसूचना

दिल्ली 27 सितम्बर, 2021

फा.सं.1(61)/स्था0/योजना/2014/भर्ती नियम/चालक/8790-8796.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 2 अगस्त, 1994 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिए की गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक, ग्रेड-I” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को “योजना विभाग स्टाफ कार चालक, ग्रेड-I” भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
- शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- बचाव** :— इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक, ग्रेड - I
2.	पदों की संख्या	:	03*(2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप “ग” अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5, 29200—92300 /—रुपये पे बैंड - 1 (5200 - 20200 /—रुपये + ग्रेड पे 2800 /— रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में)

5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में, 25,500-81,100/-रुपये पे बैंड -1 (5200-20200 जमा ग्रेड पे -2400/-रुपये पूर्व संशोधित वेतन मान) स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) अथवा स्टाफ कार चालक ग्रेड-II तथा स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के रूप में पन्द्रह वर्ष की संयुक्त सेवा सहित तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में से पदोन्नति ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) — अध्यक्ष (ii) विभागाध्यक्ष (योजना) —सदस्य (iii) उप सचिव (सेवाएं) —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

के. आर. छिब्रर, उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालयाध्यक्ष

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2021

F.No.1(61)/Estt./Plg./2014/8790-8796.— In exercise of the powers conferred by provision to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R. 840, dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification dated 2nd August, 1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **"Staff Car Driver, Grade-I"** in the Planning Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**- (i) These rules may be called Planning Department "Staff Car Driver, Grade-I" Recruitment Rules, 2020.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of Posts, classification and level in the Pay Matrix.** —The number of post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** —The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** —No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** —Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-Selection	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver, Grade-I	03*(2020) *Subject to variation department on workload	Group 'C' Non Gazetted, Non Ministerial	Level-5 in Pay matrix, Rs.29200-92300/- PB-1 (Rs.5200-20200 plus GP Rs. 2800 in pre revised scale)	Non Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not applicable	By Promotion

In case of recruitment/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from Staff Car Driver-Grade-II, in Level-4 of Pay Matrix, Rs.25500-81100/-PB-1 (Rs. 5200-20200 plus GP Rs.2400 in pre-revised scale) with six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years as Staff Car Driver Grade-II and Staff Car	Group-'C' DPC (for Considering promotion); (i) Principal Secretary/Secretary (Labour) - Chairperson (ii) Head of Department, Planning -Member (iii) Deputy Secretary Services -Member	Not Applicable

Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.		
---	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
K.R. CHHIBBER, Dy. Director (Admn)/H.O.O.

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

फा. सं. 1(61)/स्था0/योजना/2014/भर्ती नियम/चालक/8797-8803.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 2 अगस्त, 1994 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिए की गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “स्टाफ कार चालक, ग्रेड-II” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (i) इन नियमों को “योजना विभाग स्टाफ कार चालक, ग्रेड -II” भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
- शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- बचाव:-** इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक, ग्रेड - II
2.	पदों की संख्या	:	02*(2020) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	ग्रुप “ग” अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, 25500-81100/-रुपये पे बैण्ड - 1 (5200-20200/-रुपये + ग्रेड पे 2400/-रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	लागू नहीं।

	आयु सीमा		
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	ग्रेड में 9 वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 , 19900-63200/-रुपये पे बैंड -1 (5200 - 20200/- रुपये जमा ग्रेड पे 1900/- रुपये पूर्व संशोधित वेतनमान में) स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) से पदोन्नति ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	वर्ग "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, (i) प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) — अध्यक्ष (ii) विभागाध्यक्ष (योजना) —सदस्य (iii) उप सचिव (सेवाएं) —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

के. आर. छिब्रर, उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालयाध्यक्ष

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2021

F.No.1(61)/Estt./Plg./2014/8797-8803.— In exercise of the powers conferred by provision to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R. 840, dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification dated 2nd August, 1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **"Staff Car Driver, Grade-II"** in the Planning Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**— (i) These rules may be called Planning Department Staff Car Driver, Grade-II Recruitment Rules, 2020.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of Posts, classification and level in the Pay Matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person, -
(c) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(d) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-Selection	Age limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver, Grade-II	02*(2020) *Subject to variation department on workload	Group 'C' Non Gazetted, Non Ministerial	Level-4 in Pay matrix, Rs.25500-81100/-PB-1 (Rs.5200-20200 plus GP Rs. 2400 in pre revised scale)	Non Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not applicable	By Promotion

In case of recruitment/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from Staff Car Driver(Ordinary Grade), in Level-2 of Pay Matrix, Rs.19900-63200/-PB-1 (Rs. 5200-20200 plus GP Rs.1900 in pre-revised scale) with Nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Group-'C' DPC (for Considering promotion); (i) Principal Secretary/Secretary (Labour) - Chairperson (ii) Head of Department, Planning-Member (iii) Deputy Secretary Services -Member	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
K.R. CHHIBBER, Dy. Director (Admn)/H.O.O